न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता आई.ए.एस

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 26/2013

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. बाबूलाल पुत्र गोरधाराम 2. संतोष उर्फ चिंतामण पुत्र गोरखाराम 3. रमेश पुत्र गोरखाराम 4. टीमों देवी पत्नी गोरखाराम जाति माली निवासी जवाहर चौक, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर		1. रूपों देवी पत्नी स्व0 नेमीचन्द जाति माली निवासी जवाहर चौक, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर 2. नगर परिषद, जरिये आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर

प्रार्थना पत्र विरूद्ध आदेश नगर परिषद बाडमेर पत्रावली सं. 210/13 जो स्टेट गोवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1961 के तहत पत्रावली सं. 14152 अन्तर्गत पट्टा दिनांक 21.03.2013 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1. श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित ।
2. श्री राजेश बिश्नोई, अधिवक्ता, रेस्पो. सं. 1 की ओर से उपस्थित ।
3. श्री जसवन्त बोहरा, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 की ओर से अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 30.07.2019

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे यह हैं कि विवादित भूमि प्रशासन शहरों के संग अभियान–2012 नियमन शिविर मे दिनांक 31.01.2013 को अप्रार्थीनी सं. 1 ने स्टेट ग्रांट एक्ट 1961 के अन्तर्गत अपने आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस पर रेस्पो. संख्या 2 द्वारा उक्त भूखण्ड के मौका कब्जा की जांच रिपोर्ट प्राप्त कर प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों को विश्वसनीय मानते हुए

जिला कलक्टर
बाड़मेर

स्टेट गोवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1961 के तहत पट्टा दिनांक 21.03.2013 को जारी कर दिया। इस पट्टा विलेख की जानकारी प्रार्थीन ने दिनांक 19.05.07 को नकल प्राप्त होना बताते हुए अन्दर मयाद अपील रूप मे प्रस्तुत की जिसे विविध प्रार्थना पत्र के रूप मे राज्यादेश दिनांक 15.09.1983 के नियम 6 के अन्तर्गत विवाद के निस्तारण हेतु दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी । दौरान सुनवाई प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीनी सं. 1 के संयुक्त स्वामित्व का पुश्तैनी भूखण्ड 20 गुणा 40 फीट का स्व0 समेलाराम के समय का मौहल्ला जवाहर चौक बाड़मेर मे आया हुआ है। इस भूखण्ड मे समेलाराम के दोनो पुत्रों गोरखाराम व माणका का आधा–आधा हिस्सा है जिसमे से माणकाराम ने अपना आधा हिस्सा जरिये इकरारनामा दिनांक 24.04.1978 को 5000 रूपये मे गोरखाराम को विक्रय कर दिया था। इस पर सम्पूर्ण भूखण्ड पर गोरखाराम का कब्जा व स्वामित्व था तथा गोरखाराम के स्वर्गवास के बाद उसके वारीसान प्रार्थीगण व अप्रार्थीनी सं. 1 का संयुक्त स्वामित्व व कब्जा चला आ रहा हैं, किन्तु अप्रार्थीनी सं. 1 के अकेले के पक्ष मे नगर परिषद द्वारा स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टा जारी कर दिया है जो सभी नियम, कानून, कायदो को दर किनार कर असंवैधानिक रूप से जारी होने से काबिले निरस्त हैं।

3. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थीनी सं. 1 द्वारा नगर परिषद के समक्ष उक्त भूखण्ड का पारिवारिक बंटवाड़ा होने का कोई दस्तावेज पेश नही किया। दो पड़ौसियों की ओर से पुराना कब्जा होने के झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत करवाये तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य मे अपने ससुर गोरखाराम का नाम मतदाता सूची मे होने का प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार नगर परिषद अधिकारियों द्वारा गोरखाराम के वारीसान की कोई जांच नही की तथा प्रार्थीगण की ओर से आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व उजरदारी भी पेश की गई थी उसे भी रिकार्ड पर नहीं लिया तथा न ही प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। इस प्रकार आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर द्वारा संयुक्त पैतृक स्वामित्व के विवादित भूखण्ड के

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सम्बन्ध मे बिना कब्जे एवं आधिपत्य की जांच किये ही आलौच्य पट्टा जारी कर दिया है, जिसे निरस्त फरमाया जावें।

4. अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने जवाब में यह निवेदन किया कि आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर द्वारा प्रशासन शहरों के संग–2012 के द्वारा आयोजित नियमन शिविर मे साक्ष्य दस्तावेजों की जांच उपरांत विधिवत आपतियाँ आमंत्रित करने हेतु पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया था तथा नियमानुसार मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त करते हुए अप्रार्थीनी के कब्जे एवं उसके पक्ष मे साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर ही पट्टा विलेख जारी किया गया है। आलौच्य पट्टा अन्तर्गत भूखण्ड पर अप्रार्थीनी सं. 1 ही अपने परिवार सहित निवास कर रही है तथा प्रार्थीगण का इस पर कोई हक–अधिकार नही है। इसलिए इस संबंध में प्रार्थीगण के द्वारा किये गये कथन मानने योग्य एवं काबिल विश्वास के नही है। स्टेट ग्रांट एक्ट के अन्तर्गत पुराने कब्जे आधार पर पट्टा प्राप्त करने के हेतु नियमानुसार आवेदन प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ स्वामित्व संबंधी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये है तथा नगर परिषद द्वारा भी आवश्यक जांच कार्यवाही सम्पन करने के पश्चात पट्टा विलेख जारी किया है जो विवादरहित, विधि अनुकूल उचित है। अतः उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन व आधारहीन होने से खारीज किया जावे।

5. हमने दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि विवादित भूखण्ड का पट्टा जारी करने हेतु अप्रार्थीनी सं. 1 के प्रार्थना पत्र पर नगर परिषद द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना दिनांक 04.02.2013 पर प्रार्थीगण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई है जिसके पंजीयन संख्याक अंकित है किन्तु उक्त आपत्ति को पत्रावली पर नहीं लिया गया तथा न ही इस सम्बन्ध मे जांच एवं सुनवाई कर आपत्तियों का निस्तारण किया गया हैं। अप्रार्थीनी सं. 1 द्वारा अपने आवेदन पत्र के संलग्न भूखण्ड के स्वामित्व सम्बन्धी कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा अनुसार उक्त भूखण्ड समेला के दोनो पुत्रों गोरखा व माणका का रहा है तथा माणका ने अपना हिस्सा अपने भाई गोरखा व उसके पुत्रों नेमाराम, बाबूराम, चिंतामण पि0 गोरखा को विक्रय किया गया है। इससे

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीनी सं. 1 के द्वारा नगर परिषद बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र अन्तर्गत भूखण्ड पैतृक स्वामित्व का है जिसमे उसके पति के साथ–साथ अन्य सदस्यों का भी हक–अधिकार निहित होना प्रतीत होता है। नगर परिषद बाड़मेर समक्ष इस आशय की उजरदारी भी प्रस्तुत हुई है फिर भी इसकी वास्तविक सत्यता की जांच हेतु प्रार्थीगण को व्यक्तिगत सुनवाई का नोटिस व अवसर दिया जाना नही पाया जाता है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए वर्तमान मामले में नगर परिषद बाड़मेर द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से जांच कार्यवाही की औपचारिकता पूर्ण कर अप्रार्थीनी सं. 1 के पक्ष में जारी किये गये पट्टा विलेख को बहाल रखा जाना न्यायोचित नही होगा।

6. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार करते हुए नगर परिषद बाड़मेर द्वारा पत्रावली सं. 210/13 मे स्टेट गोवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1961 के तहत पत्रावली सं. 14152 अन्तर्गत पट्टा दिनांक 21.03.2013 को निरस्त किया जाता है। तथा प्रस्तुत प्रकरण नगर परिषद बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त आब्जर्वेशन को मध्यनजर रखते हुए तथा दोनों पक्षकारों को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात नये सिरे से पुनः कार्यवाही करे।

7. निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर